निवेशकों का मार्गदर्शन

पॉवर ऑफ अटर्नी का महत्त्व समझ लीजिये

केवायसी कराते हो तो केवायबी करना भी सीखे।

निवेशक सावधानी बरतियें, आपके शेयर या धन का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा?

वर्तमान में शेयरों के सौदों में पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) के मुद्दे पर चर्चा हो रही है तथा चिंता जताई जा रही है। एक पुरानी तथा प्रसिद्ध ब्रोकिंग कंपनी ने व्यापक रूप से पीओए का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके बाद यह मामला गंभीर बन गया है तथा नियामक सेबी भी सक्रिय होकर कारवाई करने लगी है। इस समय निवेशकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए वो समझ लेते है।

आपने शाहरूख खान की बाजीगर फिल्म देखी होगी, जिसमें अपने माता-पिता का बदला लेने के लिए शाहरूख खान अपने भावि ससूर को नकली प्रेम कहानी में ले जाकर उनका विश्वास जीतता है तथा एक निश्चित समय पर उसके व्यवसाय की पॉवर ऑफ अटर्नी प्राप्त कर लेता है। हालांकि ससूर खुद शहर से बाहर जाने के समय संपूर्ण विश्वास के साथ अपने व्यावसाय की पॉवर ऑफ अटर्नी सौंप कर जाता है। इस पॉवर ऑफ अटर्नी का उपयोग करके शाहरूख खान संपूर्ण व्यवसाय-संपत्ति अपने नाम कर लेता है तथा ससूर से बदला लेता है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि हम बाजीगर फिल्म की बात क्यो कर रहे है? बेशक, हमें इस फिल्म की या शाहरूख खान की बाते नहीं करनी, क्योंकि ये तो एक फिल्म थी, जिसमें अभिनेता द्वारा अपना बदला लेने की कहानी थी। यहां हमें पॉवर ऑफ अटर्नी की बात करनी हे। अपने जीवन में जिसे भी निश्चित कारण से पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) दी है, उसका वह कैसा गलत इस्तेमाल कर सकता है उसके बारे में सरलता से समझने के लिए हमने फिल्म की बात की है। पूंजी बाजार में पॉवर ऑफ अटर्नी की चर्चा-चिंता किसी अलग कारण से हो रही है, जिसका करोड़ो निवेशकों के साथ सीधा संबंध है। पिछले कुछ समय से आपका धन बैंकों में सुरक्षित है या नहीं उसका डर बढ़ रहा है। अब ब्रोकर के पास आपका धन तथा शेयर सुरक्षित है या नहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं।

पॉवर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल

वर्तमान में एक ब्रोकर द्वारा पॉवर ऑफ अटर्नी के गलत इस्तेमाल का मामला बाहर आया है। इतना ही नहीं, नियामक सेबी (सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने तुरंत कड़े कदम लेने की शुरुआत कर दी है। इस समय सेबी को यह पता चला है कि जिस तरह ब्रोकिंग कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है उसी प्रकार अन्य ब्रोकर्स भी छोटे या बड़े

BSE - INTERNAL

पैमाने पर ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो उनके ग्राहकों के लिए जोखिम बन सकता है। एक बात संज्ञान में लेनी होगी कि सभी ब्रोकर ऐसा नहीं करते, परंतु कुछ ही ब्रोकर ऐसे है जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जो भी हो परंतु निवेशकों को सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि ब्रोकर ही नहीं, बल्कि उसके स्टाफ-कर्मचारी को भी ऐसे काम करते हुए देखा गया हैं।

शेयर बाजार में पॉवर ऑफ अटर्नी का महत्त्व

शेयर बाजार में पॉवर ऑफ अटर्नी का महत्त्व समझते है। निवेशक जब शेयरों की खरीद का सौदा करता है तब उसे ब्रोकर को दो दिनों में उसकी राशि का भुगतान करना होता है तथा शेयरों की बिक्री का सौदे करने पर दो दिनों के भीतर ब्रोकर को बेचे गये शेयरों की डिमेट डिलिवरी दाखिल करनी होती है। इसमें देरी होने पर ग्राहकों को वित्तीय नुकसान हो सकता है। मान लीजिये कि ग्राहक ने शेयरों की खरीद या बिक्री का सौदा किया है, परंतु उस समय वह शहर में नहीं है या अन्य किसी कारण से ब्रोकर द्वारा खरीद किये गये शेयरों की राशि पहुंचाने में या बेचे हुए शेयरों की डिलिवरी की डिमेट इंस्ट्रक्शन स्लिप पहुंचाने में असमर्थ है, तब क्या करना चाहिये? ऐसे समय पर ग्राहक को वित्तीय नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए पॉवर ऑफ अटर्नी नामक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि ग्राहक अपने ब्रोकर के पास ही अपना डिमेट एकाउन्ट रखे और उसे पॉवर ऑफ अटर्नी देता है तो ब्रोकर उन शेयरों की डिलीवरी ले सकता है। इसी तरह बैंक अकाउन्ट की पॉवर ऑफ अटर्नी दी गई है तो ब्रोकर उसमें से भुगतान भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि भुगतान के लिए अब कई माध्यम उपलब्ध है। ये सारे कारोबार आपसी विश्वास पर चलते है। आजकल यह सुविधा बेहतर मानी जाती है, परंतु उसमें सबसे बड़ा जोखिम पॉवर ऑफ अटर्नी के गलत इस्तेमाल का है।

सेबी के ध्यान में आये हुए कुछ मामले

सेबी को ऐसे कई ब्रोकर मिले हैं, जिन्होंने अपने ग्राहकों का धन तथा स्टॉक्स का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया है। ऐसे कई केस में यह साबित भी हुआ है। कुछ केसो में सेबी की जांच-पड़ताल अभी चल रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ब्रोकर ने अपने स्वार्थ के लिए ग्राहकों के लगभग १०,००० करोड़ रू. का उपयोग किया है।

ग्राहकों का धन-शेयरों का मनस्वी उपयोग

जब से ब्रोकिंग कंपनियों के डिफोल्ट होने के मामले सामने आये हैं तब से अधिक चिंता / चर्चा हो रही है। इस कंपनी ने ग्राहकों के धन तथा शेयरों के साथ खिलवाड़ किया था। उन्होंने ९०,००० से अधिक ग्राहकों के शेयरों का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गिरवी रखे थे। सेबी के अनुसार कई ब्रोकर के पास ग्राहकों की पॉवर ऑफ अटर्नी है, जिसकी आज के दौर में आवश्यकता भी बढ़ गई है। बेशक, ये आवश्यक नहीं है, परंतु इससे सौदे के कामकाज

BSE - INTERNAL

में सरलता मिलती है। हालांकि दुर्भाग्य से इस पॉवर के आधार पर कुछ ब्रोकर अपने ग्राहकों के धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं या अपने दूसरे ग्राहक के लिए करते हैं। यह भी सामने आया है कि मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोलेटरल के रूप में ग्राहकों द्वारा रखे गये शेयरों का उपयोग ब्रोकर अपने सौदे के लिए या अपने अन्य ग्राहकों के लिए करते हैं। इसी प्रकार कई ब्रोकर सेटलमेंट से जमा हुई राशि ग्राहक को देने के बजाय अपने पास ही रखते है तथा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो ग्राहकों के स्टॉक्स को नॉन-बैंकिंग फाइनान्स कंपनी के पास गिरवी रखते है तथा अपने लिए धन का प्रबंध करते है या फिर अपने व्यवसाय के लिए ग्राहक के धन का उपयोग करते हैं।

सेबी ने पूर्व में भी सूचना दी थी, परंतु...

सेबी ने इस मामले पर जून में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके जरिए ग्राहकों की राशि का उपयोग रोकने हेतु ब्रोकरों पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही उनके पास जमा ग्राहकों की राशि वापिस देने के लिए 31 अगस्त की डेडलाईन निर्धारित की थी, परंतु कई ब्रोकरों ने इसका अनुपालन नहीं किया था, जिससे अब सेबी ने ऐसे ब्रोकरों के खिलाफ कारवाई करने की शुरुआत की है। यदि ब्रोकर ऐसा नहीं करते है तो सेबी उनसे जुर्माना लेगी। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी द्वारा हाल ही में किये गये निवेदन के अनुसार सेबी इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी तथा नियंत्रणात्मक कारवाई करेगी।

ऋणदाता मुसीबत में

फिलहाल, बाजार पर ब्रोकिंग कंपनी के डिफॉल्टर की तलवार लटक रही है। कंपनी ने अपने उपर लगाये गये नियंत्रण को हटाने के लिए सेबी में आवेदन किया था, जिसे सेबी ने खारिज कर दिया है। दूसरी ओर बीएसई तथा एनएसई ने एक्सचेंज में कारोबार करने के लिए उस ब्रोकिंग कंपनी को निलंबित कर दिया है। हालांकि इस कंपनी के खिलाफ की गई कारवाई से कुछ नॉन-बैंकिंग फाइनान्स कंपनियां/बैंक दुविधा में पड़ सकते हैं। क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी ने उनके पास ग्राहक के शेयर (कोलेटरल संपत्तियां) गिरवी रखे थे। अब ग्राहकों के हित हेतु सेबी के आदेश से ये शेयर ग्राहकों को वापस देने पड़े, जिससे ऋण देने वाली बैंकों/एनबीएफसी की निंद हराम हो गई है। क्योंकि यदि ब्रोकिंग कंपनी इस ऋण में डिफोल्ट करेगी तो ऋणदाता के पास कोई सिक्युरिटी नहीं है, जिससे वे ऋण वसूल सके।

सीमित रूप में पीओए दें

निवेशकों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रोकर को एब्सोल्युट (संपूर्ण) पॉवर ऑफ अटर्नी कभी नहीं देनी चाहिए। पॉवर ऑफ अटर्नी सीमित रूप में दी जानी चाहिए। जैसे कि ब्लैंक चेक देते समय नोट ओवर लिखकर सीमा तय की जाती है उसी प्रकार पीओए की भी सीमा तय की जा सकती है। निवेशकों को पीओए देना आवश्यक नहीं है। यदि पीओए देना

BSE - INTERNAL

आवश्यक है तो उस पर नजर रखनी चाहिए। कई लोग कामकाज में सरलता के लिए ब्रोकर के पास ही डिमेट एकाउन्ट रखते है, जिसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैंक में भी डिमेट अकाउन्ट रख सकते है। ग्राहक बैंक खाते के पीओए देने से बचें और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखें कि शेयर बेचने पर राशि उसके बैंक खाते में समय पर जमा हो।

ब्रोकर के पास अकाउन्ट खोलते समय ध्यान में रखें

ग्राहकों को ट्रेडिंग अकाउन्ट खोलते समय शेयर ब्रोकर के साथ किये जाने वाले करार को संपूर्ण पढ़ने के बाद सही करनी चाहिए, जिसमें पॉवर ऑफ अटर्नी का मुद्दा भी शामिल होना चाहिए। इस करार में डेरिवेटिव्ज, करेंसी आदि सेगमेंट में काम करने से संबंधित मुद्दे भी शामिल है। यदि आप इस सेगमेंट में काम करना नहीं चाहते तो करार में उस जगह पर क्रोस कर सकते हो। सिर्फ औपचारिकता समझकर उस स्थान को रिक्त ना छोड़े, क्योंकि भविष्य में ब्रोकर या उसके कर्मचारी उसका फायदा ले सकते हैं। इस प्रकार, समझौते पर हस्ताक्षर करना और उसे समझना आवश्यक है। याद रखिये कि आपने बिना समझे करार कर लिया है तो उसके बाद भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। याद रखें कि जिस प्रकार ब्रोकर आपके पास से केवायसी कराते है उसी प्रकार आप भी ब्रोकर के साथ जुड़ने से पहले केवायबी (नो योर ब्रोकर) करा सकते हो। अर्थात् अपने ब्रोकर को ठीक से जान लें।

इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा किये गये सौदे की जानकारी आपके मोबाईल पर एसएमएस के जरिए मिलती रहें। ऐसे मेसेज पर भी ध्यान रखियें। यदि आपने कोई सौदा नहीं किया है और आपको सौदा होने का मेसेज आता है तो तुरंत सावधान होकर ब्रोकर का संपर्क करें। आप इस मामले की शिकायत एक्सचेंज को भी कर सकते हो। यदि आपको संदेह है तो अकाउन्ट बंध करके अन्य ब्रोकर के पास ट्रांसफर भी करा सकते हो।

BSE - INTERNAL